

कार्यालय आदेश

वर्ष 2022-23 हेतु बजट मद 2406-01-101(10) जैव विविधता का संरक्षण एवं पारिस्थितिकीय पर्यटन 62-कम्प्यूटरीकरण एवं तत्संबंधी सूचना व्यय (आयोजना) में अधोलिखित कार्यालय को निम्नानुसार Highly killed Manpower के लिये बजट आवंटित किया जाता है। संबंधित कार्यालय में सूचना सहायकों/सहायक प्रोग्रामर के उपलब्ध होने की स्थिति में ही Highly Skilled Manpower को बंद करना होगा तथा Highly Skilled Manpower के लिये आवंटित बजट की अवशेष राशि समर्पित करनी होगी। यह आवंटन इसी वित्तीय वर्ष के लिए ही हुआ है।

S.No	Region	Name of Office	Budget Allotment (Rs.in lacs)	Remark
			For Highly Skilled Manpower (Lakhs)	
1.	CCF RVP KOTA	DCF (PROJECT) ABUROAD	0.46	उप वन संरक्षक (परियोजना) आबूरोड के पत्रांक 1386 दिनांक 21.09.2022 के क्रम में।
2.	CCF DO JAIPUR	DCF DOD STAGE II BIKANER	2.30	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल स्टेज-II, बीकानेर के पत्रांक 1579-80 दिनांक 18.10.2022 के क्रम में।
3.	CCF DO JAIPUR	DCF DOD UDAIUR	1.15	उप वन संरक्षक विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर के पत्रांक 1673 दिनांक 18.10.2022 के क्रम में।
4.	CCF UDAIPUR	DCF UDAIPUR NORTH	0.40264	उप वन संरक्षक उदयपुर (उत्तर) के पत्रांक 7609 दिनांक 21.11.2022 के क्रम में।
5.	CCF WL JAIPUR	DCF WL ZOO JAIPUR	2.07	उप वन संरक्षक (वन्यजीव) विडियाघर, जयपुर के पत्रांक 9054 दिनांक 18.11.2022 के क्रम में।
		Total	6.38264	

- वित्त (आय-व्यय) विभाग द्वारा जारी प्रपत्र F4(1)FD-1(1)budget/2021 Dt. 30.03.2021 में दिए गये निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही/स्वीकृतियां जारी किया जाना सुनिश्चित करें।
- वित्त (G&T) विभाग द्वारा जारी प्रपत्र F2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 Dt. 30.04.2018 में लोक उपापन में मानव संसाधन की सेवाओं के उपापन के संबंध में दिए गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF) राजस्थान जयपुर के परिपत्र संख्या:एफ3(विविध)प्रमुवसं लेखा/बजट/2017-18 /8463-582 दिनांक : 23.01.2018 की पालना सुनिश्चित करें।
- आवंटित बजट का उपयोग केवल निर्धारित कार्य के लिए ही किया जावे तथा आवंटन उन्हीं कार्यालयों के लिए है जिनमें कम्प्यूटर संसाधन की उपलब्धता है। जिन कार्यालयों में कम्प्यूटर संसाधन नहीं है वहां इस राशि का उपयोग नहीं किया जावे।
- अधीनस्थ कार्यालयों को आवंटित बजट की मॉनिटरिंग संबंधित मुख्य वन संरक्षक स्तर पर करनी होगी। अधीनस्थ कार्यालय इस अनुभाग से सीधे पत्राचार न करें। बजट की आवश्यकता नहीं हो तो 15 दिवस में राशि समर्पित करते हुए इस कार्यालय को सूचित करें।
- प्रत्येक वन मण्डल एवं मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय में प्रति माह एक से अधिक Highly Skilled Manpower नहीं रखे जावें।
- अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हेतु संबंधित मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से औचित्य पूर्ण प्रस्ताव भिजवायें।

ह
(उदय शंकर)

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर

क्रमांक : एफ(205)आयोजना बजट/अप्रमुवसं/ उवस/सू.प्रौ./2022-23/1669-80 दिनांक : 1/12/22
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (विकास) राजस्थान जयपुर।
- 2 वित्तीय सलाहकार, वन विभाग अरण्य भवन जयपुर।
- 3 मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी. कोटा/विभागीय कार्य जयपुर/उदयपुर/वन्यजीव जयपुर।
- 4 उप वन संरक्षक, परियोजना आबूरोड/विभागीय कार्य मण्डल स्टेज-II बीकानेर/विभागीय कार्य मण्डल उदयपुर/उदयपुर उत्तर/वन्यजीव चिडियाघर जयपुर।
- 5 रक्षित पत्रावली।



(अशोक कुमार जैन)
उप वन संरक्षक
सूचना प्रौद्योगिकी, जयपुर